(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/2381 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-2-2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 182/अपील/2013-14.

चन्द्रभानसिंह आत्मज मूरतसिंह
निवासी मीनाक्षी चौक होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती उमा शिवहरे पुत्री द्वारकाप्रसाद शिवहरे
   निवासी वार्ड नम्बर 9, बालागंज मोहल्ला
   होशंगाबाद
2. तहसीलदार, होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री मेघदीप गौर, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.पी. यादव, अभिभाषक, अनावेदिका क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 15-2-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा ग्राम मालाखेडी की संशोधन पंजी क्रमां 42 में पारित आदेश दिनांक 16-6-2000 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष दिनांक 9-9-2013 को अवधि विधान की धारा 5 सहित विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अपील/2012-13 पंजीबद्ध कर दिनांक 9-5-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 15-2-2018 को आदेश पारित कर अपील

स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 29-5-2019 को उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किए जाने पर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अत: प्रकरण का निराकरण आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. अनावेदिका क्रमांक 1 ने करीब 16 वर्ष पूर्व ग्राम मालाखेड़ी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 369/9, 364/9, 365/9, 366/9 एवं 367/9 रकबा 0.081 हेक्टेयर में से रकबा 0.036 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26-10-99 को क्रय की गई थी, जिसके आधार पर संशोधन पंजी क्रमांक 42 पारित आदेश दिनांक 16-6-2000 द्वारा राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज हुआ है । अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा जिस विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गई है, उसमें 3600 वर्गफीट भूमि बेचे जाने का उल्लेख है ।

2. अनावेदिका क्रमांक 1 ने प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन कराया गया है एवं भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर भवन का निर्माण कराया गया है । इस तरह अनावेदिका क्रमांक 1 की जानकारी में विक्रय पत्र दिनांक 26-10-99 से यह जानकारी रही है कि उसके द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से 3600 वर्गफीट भूमि क्रय की है ।

3. आयुक्त को यह देखना चाहिए था कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा जितनी भूमि क्रय की गई है, उतनी भूमि 3600 वर्गफीट पर उसका नामांतरण किया गया है, जिसकी जानकारी अनावेदिका क्रमांक 1 को वर्ष 2000 से रही है लेकिन उसके द्वारा 14 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अपील सही तरीके से निरस्त की गई है लेकिन आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर विचार न करने में गंभीर त्रुटि की गई है ।

4. आयुक्त ने यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण लिया है कि विक्रय पत्र में दर्शाया गया रकबा 3600 वर्गफीट त्रुटिपूर्ण है, जबकि उन्हें यह देखना चाहिए था कि यदि विक्रय पत्र में बेचे गए रकबे का उल्लेख त्रुटिपूर्ण अंकित हुआ है तब सर्वप्रथम उप पंजीयक कार्यालय में संशोधन पत्र का पंजीयन कराना

आवश्यक है, उसके पश्चात ही राजस्व अभिलेख संशोधित किया जा सकता है लेकिन आयुक्त ने मनमाने तरीके से अपील स्वीकार करने में गंभीर भूल की है ।

उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विक्रय पत्र में रकबे में भ्रम होने पर अनावेदिका क्रमांक 1 को संशोधन कराने की कार्यवाही करनी चाहिए थी । अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय ने सही ही विक्रय पत्र में जो रकबा कम उल्लेखित है, उसे मान्य कर कार्यवाही की है । किन्तु आयुक्त ने त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है । अतः आयुक्त का निष्कर्ष मान्य नहीं होने से उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 15-2-2018 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर